पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय
Registered and Head Office

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड

भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERI'RISC

HINDUSTAN COPPER LIMITED
CIN No. : L2720IWBI967GOI028825

ताम्र भवन TAMRA BHAVAN
1 आशुतोष चौधुरी एवेन्यू,
Ashutosh Chowdhury Avenue,
पोस्ट बैग सं. P.B.NO. 10224
कोलकाता KOLKATA- 700 019

सं.- HCL/ SCY/SE/ 2023

09 अक्टूबर 2023

वरिष्ठ महाप्रबंधक,
कॉरपोरेट सेवा विभाग,
बी.एस.ई.लिमिटेड,
फिरोज जीजीभ्वाय टॉवर,
दलाल स्ट्रीट,
मुम्बई- 400 001
BSE Scrip Code 513599

उपाध्यक्ष,
लिस्टिंग विभाग,
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.,
एक्सचेंज प्लाजा, सी-1, ब्लॉक -जी,
बांद्रा- कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट),
मुम्बई - 400 051
NSE Symbol : HINDCOPPER

महोदय/महोदया,

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) ने पत्र संख्या CA.V/COY/CENTML GOVERNMENT,HCOPPER(2)/264 दिनांक 13.9.2023 (आज 09.10.2023 को प्राप्त) के माध्यम से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में मेसर्स घोषाल एंड घोषाल, चार्टर्ड एकाउन्टेंट, 15 इंडिया एक्सचेंज प्लेस, 5वीं मंजिल, बिड़ला ब्रदर्स बिल्डिंग, कोलकाता-700001 को नियुक्त किया है। उपर्युक्त सी एंड एजी पत्र की एक प्रति और ऑडिट फर्म की संक्षिप्त प्रोफ़ाइल संलग्न है।

उपर्युक्त सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 30 के अनुसार आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए प्रस्तुत है।

धन्यवाद ।

भवदीय,
ह0/-
(सी.एस.सिंघी)
कंपनी सचिव एवं
अनुपालन अधिकारी

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त ।

दूरभाष Tel: 2283-2226 (Hunting). ~फैक्स Fax: (033) 2283-247812640,
इ-मेल E-mail: hcl_ho@hinduslancopper.com, वेब Web :www.hindustancopper.com

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड

पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय
Registered and Head Office

भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERI'RISC

HINDUSTAN COPPER LIMITED

CIN No. : L2720IWBI967GOI028825

ताम्र भवन TAMRA BHAVAN
1 आशुतोष चौधुरी एवेन्यू,
Ashutosh Chowdhury Avenue,
पोस्ट बैग सं. P.B.NO. 10224
कोलकाता KOLKATA- 700 019

दिनांक 09-10-2023

मेसर्स घोषाल एंड घोषाल,

चार्टर्ड एकाउन्टेंट,

15 इंडिया एक्सचेंज प्लेस,

5 वॉ तल, बिड़ला ब्रदर्स बिल्डिंग,

कोलकाता-700001, पश्चिम बंगाल

Email: ghslandgsl@gmail.com

M-8902174727/ 9836195257

महाशय,

विषय: कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 139 के अधीन वित्त वर्ष 2023-23 के लिए ऑडिटर की नियुक्ति।

कृपया मुख्य महालेखा परीक्षक के पत्र स.- /CA. V/COY/CENTRAL GOVERNMENT, HCOPPR (2)/264 दिनांक 31-09-2023 को संदर्भित करें। इस संदर्भ में मैं सूचित करना चाहूँगा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार ने आपके फर्म को कंपनी अधिनियम 2013 के विनियम 139 के अधीन वित्त वर्ष 2023-24 के तहत हमारी कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। उपर्युक्त नियुक्ति अनुबंध-।। में निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन है।

उपर्युक्त के अनुरूप आपसे अनुरोध है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए हमारी कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण करें।

कृपया इस पत्र की द्वितीय प्रति में अपनी स्वीकृति से अवगत कराने की कृपा करें।

धन्यवाद,

भवदीय,

ह0/-

(सी.ए. रवि कुमर गुप्ता)

महाप्रबंधक(वित्त)

OFFICE OFTHE COMPTROLLERAND AUDITOR GENERAL OF INDTA
10, BAHADUR SHAH ZAFAR MARG, NEW DELIII - 110 I.24 ,

No,/CA.V/COY/CENTMLGOVERNMtNT,HCOPPR(2)1264
दिनांक 133/09/2023

सेवा में,
प्रबंध निदेशक,
हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड,
ताम्र भवन, 1, पी.बी.नं.- 10224
आशुतोष चौधरी एवेन्यू,
कोलकाता।

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत ऑडिटर की नियुक्ति

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मो/लिमिटेड देयता भागीदारी को अनुबंध - II के अनुसार वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के वैधानिक/संयुक्त वैधानिक/शाखा लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। होल्डिंग कंपनी के वैधानिक/संयुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक कंपनी अधिनियम 2011 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139 के तहत समेकित वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षक भी होंगे।

2. आपसे अनुरोध है कि इस कार्यालय को सूचित करते हुए संबंधित लेखा परीक्षकों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें।

3. आपकी कंपनी का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) और (7) के तहत पूरक/परीक्षण ऑडिट निम्न को सौंपा गया है :
महानिदेक लेखा परीक्षा (खान),
नं.-1, कॉनसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता - 700001

4 . लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक और अन्य भत्ते कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 1.42 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी मामलों के विभाग के नं. 7/76 दिनांक 8 अप्रैल 1976 एवं सं. 8/6/83 दिनांक 07 जून 1984 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के साथ पढ़े जा सकते हैं, से निर्धारित होंगे ।

5. जैसा कि कंपनी द्‌वारा सूचित किया गया है, लेखापरीक्षकों को भुगतान/देय लेखापरीक्षा शुल्क अनुलग्नक-II में दर्शाया गया है। वर्ष 2023-2024 के लिए देय ऑडिट शुल्क (समेकन के लिए शुल्क सहित) में कोई संशोधन और 2022-2023 के लिए भुगतान किए गए टीए/डीए की राशि सहित अन्य सेवाओं (वैधानिक ऑडिट के अलावा) के लिए ऑडिटरों को भुगतान किए गए सभी पारिश्रमिक का मद-वार विवरण सूचित किया जाय।

वर्ष 2022-2023 के खातों को अंतिम रूप दिए जाने के साथ ही उपर्युक्त जानकारी प्रदान की जा सकती है ताकि यह कार्यालय नियुक्त लेखा परीक्षकों की नियुक्ति/पुनः नियुक्ति की समीक्षा करने में सक्षम हो सके।

6. उपर्युक्त नियुक्ति अनुबंध-I (सीएजी की वेबसाइट http://care.cag.gov.in/policy/terms.pdf पर उपलब्ध) में निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन है।

भवदीय,

ह0/-

(राज कुमार)

वरिष्ठ प्रशासनिक पदाधिकारी

फोन: 011-23509240 फैक्स: 91-11-23237730, 91-11-23509241 ई-मेल: saoca5@cag.gov.in, sao2ca5@cag.gov.in

अनुबंध- I I

वर्ष 2023-2024 के लिए चार्टर्ड लेखाकार फर्म की सूची

(LIST OF CHARTERED ACCOUNTANT FIRMS FOR THE YEAR 2023-2024

क्र सं	फर्म का नाम	पी.एस.यू. कोड/इकाई कोड	स्टेशन	अंकेक्षण विवरण	प्रति वर्ष शुल्क रु.में (जैसा कि पी.एस.यू. ने सूचित किया है
सांविधिक अंकेक्षक					
1	घोषाल एंड घोषाल (*CA0358*) 15 इंडिया एक्सचेंज प्लेस, 5 वॉ तल, बिड़ला ब्रदर्स बिल्डिंग, कोलकाता कोलकाता-700001, पश्चिम बंगाल	HCOPPR NDLI (3)	कोलकाता		1500000

ऊपर उल्लिखित प्रत्येक ऑडिटर को देय ऑडिट शुल्क में कोई भी बदलाव/संशोधन तुरंत इस कार्यालय को रिकॉर्ड और संदर्भ के लिए सूचित किया जाना चाहिए क्योंकि ऑडिटर का चयन भुगतान/देय ऑडिट शुल्क पर आधारित होता है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय
OFFICE OF TIIE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA
IO, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली BAHADUR SHAH ZAFAR MARG, NEW DELHI-I IO OO2

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5 और 7) के तहत सरकारी कंपनी/सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

I. कंपनी के लिए शर्तें

I. कंपनी इस पत्र के प्राप्त होने पर तुरंत नव नियुक्त लेखा परीक्षकों को कंपनी के निदेशकों और पिछले लेखा परीक्षकों की सूची भेज सकती है जिसमें उनके नाम और पते होंगे।

2. चूँकि लेखा परीक्षक वित्तीय विवरणों पर एक स्वतंत्र राय बनाने और व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है, उसकी तैयारी की जिम्मेदारी उपक्रम के प्रबंधन की है। वित्तीय विवरणों का ऑडिट पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव, आंतरिक नियंत्रण और उपक्रम की संपत्तियों की सुरक्षा से संबंधित उसकी जिम्मेदारियों से प्रबंधन को मुक्त नहीं करता है। जैसा कि अधिनियम की धारा 134 में दिया गया है, कंपनी को लेखा परीक्षकों को उसकी रिपोर्ट के लिए निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित वित्तीय विवरण/समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।

3. अधिनियम की धारा 143 (1) के अनुसार, लेखा पुस्तकें और वाउचर लेखा परीक्षकों को उपलब्ध कराए जांय। वैधानिक लेखापरीक्षकों और संबंधित MAB/AG के परामर्श से लेखापरीक्षा का उपयुक्त कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए ताकि लेखापरीक्षा को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जा सके। सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा मांगे गए लेनदेन या स्पष्टीकरण का विवरण शीघ्रता से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

4 (i). कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के अनुसार कंपनी द्वारा लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक तुरंत इस कार्यालय और लेखा परीक्षकों को सूचित किया जाय ।

(ii) ऑडिटर का पारिश्रमिक तय करते समय, इसमें शामिल कार्य की मात्रा, साझेदारों/चार्टर्ड अकाउंटेंट कर्मचारियों और फर्म / LLP के ऑडिट क्लर्कों द्वारा सामान्य रूप से खर्च किए जाने वाले समय पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

(iii) ऑडिट शुल्क तय करते समय अधिसूचना संख्या एल-सीए (7)/93/2006 दिनांक 18 सितंबर 2006 और न्यूनतम ऑडिट शुल्क निर्धारित करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा समय-समय पर जारी की गई सिफारिशों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। यह स्पष्ट किया गया है कि अधिसूचना में उल्लिखित शहर/कस्बा ऑडिटर के प्रधान कार्यालय या शाखा कार्यालय के शहर/कस्बे को संदर्भित करता है, जिसे ऑडिट वास्तव में सौंपा गया है।

(iv) ऐसे मामलों में जहां ऑडिट फर्म/ LLP के शाखा कार्यालय को आवंटित किया गया है, शाखा के उसी स्टेशन पर स्थित कंपनी/यूनिटों के ऑडिट के लिए कोई टीए/डीए का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए।

5. लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के हित में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 144 में निर्दिष्ट सेवाओं सहित परामर्श, निदेशक या अन्य सेवाओं के लिए कोई असाइनमेंट और गैर-ऑडिट असाइनमेंट जिसमें प्रबंधन कार्य करना या प्रबंधन निर्णय लेना शामिल है, फर्म/ LLP या उसके भागीदार को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 144 के तहत दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष

रूप से, कंपनी या उसकी होल्डिंग कंपनी या कंपनी की आंशिक स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियों (शेयरधारिता के बावजूद) या कंपनी के संयुक्त उद्यम चाहे उत्पादन साझाकरण अनुबंध के तहत या अन्यथा, ऑडिट के वर्ष के दौरान और फर्म/ LLP के ऑडिटर समाप्त होने के बाद एक वर्ष के लिए (कंपनी की प्रासंगिक वार्षिक आम बैठक के समापन की तारीख से गिना जाएगा), प्रदान नहीं किया जाएगा। ऐसी अनुषंगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों/एसोसिएट्स के ऑडिटर जहाँ CAG द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, को छोड़कर उपर्युक्त प्रतिबंध अनुषंगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों/एसोसिएट्स के वार्षिक खातों के ऑडिट पर भी लागू होगा । ऑडिटरों को आयकर अधिनियम के तहत टैक्स ऑडिट, सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार त्रैमासिक/अर्धवार्षिक खातों की समीक्षा, विभिन्न राज्य विधानों के तहत आवश्यक VAT ऑडिट और ऑडिट असाइनमेंट से संबंधित अन्य वैधानिक प्रमाण पत्र सौंपे जाने के मामले में यह शर्त लागू नहीं होगी।

6 (a). कंपनी को ऑडिट शुल्क सहित पिछले ऑडिट विवरण की पुष्टि करनी चाहिए। भविष्य में शुल्क सहित विवरण में परिवर्तन समय-समय पर इस कार्यालय को सूचित किया जा सकता है । कोई अन्य पारिश्रमिक जैसे टीए/डीए, प्रमाणन शुल्क, टैक्स ऑडिट शुल्क, त्रैमासिक/छमाही समीक्षा शुल्क, वैट ऑडिट इत्यादि, जिसे वैधानिक/शाखा लेखा परीक्षकों को पिछले तीन वर्षों में और भविष्य में लेखा परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त भी भुगतान किया जाता है, को भी सूचित किया जा सकता है। सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार त्रैमासिक खातों की समीक्षा, टैक्स ऑडिट के लिए शुल्क, अन्य वैधानिक प्रमाणपत्र आदि जैसे अन्य कार्यों के लिए पारिश्रमिक लेखा परीक्षकों को देय कुल लेखा परीक्षा शुल्क के उचित प्रतिशत तक सीमित होना चाहिए और जो कुल मिलाकर वैधानिक लेखापरीक्षा करने के लिए देय शुल्क से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसे पारिश्रमिक का विवरण रिकॉर्ड के लिए इस कार्यालय को भी सूचित किया जा सकता है।

6(b) लेखा परीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 20l3 की धारा 143 (5) के तहत इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा और इस उद्देश्य के लिए लेखा परीक्षकों को संबंधित DG/PAG/MAB/AG द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग लेना होगा। ऐसी बैठकों में भाग लेने के लिए, लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए टीए/डीए पर उचित व्यय की प्रतिपूर्ति कंपनी द्वारा की जा सकती है।

7. भविष्य में इकाइयों के पुनर्गठन का प्रस्ताव वित्तीय वर्ष की शुरुआत से काफी पहले इस कार्यालय को भेजा जा सकता है, जिनके खातों का ऑडिट किया जाना है।

8. कंपनी इस कार्यालय को (i) ऑडिट शुरू होने की तारीख ; और वह तारीख जब कंपनी अधिनियम, 2013 के I43 (6) के प्रावधानों के अनुसार ऑडिटर रिपोर्ट के साथ भारत के C&AG की टिप्पणियां वार्षिक आम बैठक में रखी जाती हैं, भी सूचित कर सकती है ।

9. बकाया राशि को कम करने के लिए, उन कंपनियों के मामले में जिनके खाते बकाया हैं, और बकाया में पिछले कुछ लेखा वर्षों के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति में देरी से बचने के लिए, कंपनी पिछले वर्षों की लेखा परीक्षा पूरी होने के तुरंत बाद बाद के वर्षों के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए कार्रवाई शुरू कर सकती है। ऐसे प्रमाणित खातों की एक प्रति इस कार्यालय में प्रधान निदेशक (वाणिज्यिक) को सीधे उपलब्ध कराई जा सकती है। यदि प्रक्रिया को क्रमिक रूप से दोहराया जाता है, तो कंपनी शेयरधारकों की बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित कर सकती है और खातों को प्रस्तुत कर सकती है। इस प्रकार यह एक वर्ष की अवधि के भीतर 3-4 वर्षों के लिए खातों को क्लिअर कर सकता है।

II. ऑडिटरों के लिए शर्तें.

1. फर्म/ LLP कृपया इस नियुक्ति पत्र की प्राप्ति के 3 सप्ताह के भीतर कंपनी के ऑडिटर के रूप में अपनी स्वीकृति (i) कंपनी को (ii) इस कार्यालय को (iii) संबंधित DG/PAG/AG /MAB को कि कंपनी का अनुपूरक लेखापरीक्षा उन्हें सौंपा गया है, की सूचना दें। यदि, किसी भी कारण से लेखा परीक्षक नियुक्ति स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं, तो वे अपने निर्णय के कारणों सहित उपर्युक्त सभी कार्यालयों को तुरंत सूचित कर सकते हैं।

2 फर्म/ LLP की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति पिछले वर्षों में उसके प्रदर्शन के अधीन है, बशर्ते ऑडिट को संबंधित DG/PAG/AG /MAB द्वारा संतोषजनक माना जाएगा।

3. लेखापरीक्षकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति, लेखापरीक्षकों द्वारा निम्नलिखित घोषणा/वचनबद्धता के अधीन है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 के तहत फर्म/ LLP अयोग्य नहीं है।

(ii) कंपनी से किसी भी अनुचित टीए/डीए, जेब खर्च का दावा नहीं किया जाएगा।

(iii) <u>यदि किसी विशेष स्थान पर कार्यालय होने के आधार पर फर्म को ऑडिट आवंटित किया जाता है, तो शाखा के उसी स्टेशन पर स्थित कंपनी/इकाइयों के ऑडिट के लिए फर्म द्वारा कंपनी से कोई टीए/डीए का दावा नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसे भत्तों का कोई भी भुगतान पाया जाता है, तो फर्म के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आवंटित ऑडिट को वापस लेना भी शामिल है, लेकिन यही तक सीमित नहीं है।</u>

(iv) कि ऑडिट के वर्ष के दौरान, और फर्म/ LLP के ऑडिटर न रहने के बाद एक वर्ष तक (कंपनी की प्रासंगिक वार्षिक आम बैठक के समापन की तारीख से गिना जाएगा), फर्म/ LLP या उसका भागीदार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 144 में निर्दिष्ट परामर्श या अन्य सेवाओं के लिए निदेशक या कोई असाइनमेंट और गैर-ऑडिट असाइनमेंट जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रबंधन कार्य करना या प्रबंधन निर्णय लेना शामिल है (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 144 के तहत दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार), कंपनी या उसकी होल्डिंग कंपनी/अनुषंगी कंपनियों (शेयरधारिता के बावजूद)/कंपनी के संयुक्त उद्यम, चाहे उत्पादन साझाकरण अनुबंध के तहत या अन्यथा, स्वीकार नहीं कर सकता है।
उपर्युक्त प्रतिबंध अनुषंगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों/एसोसिएट्स के वार्षिक खातों के ऑडिट पर भी लागू होगा, सिवाय इसके कि जहां ऐसी अनुषंगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों/एसोसिएट्स के ऑडिटर CAG द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यह शर्त आयकर अधिनियम के तहत टैक्स ऑडिट के लिए असाइनमेंट, विभिन्न राज्य विधानों के तहत आवश्यक VAT ऑडिट, सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार त्रैमासिक/अर्धवार्षिक खातों की समीक्षा और ऑडिट असाइनमेंट से संबंधित अन्य वैधानिक प्रमाणपत्रों पर लागू नहीं होगी।

(v) पिछले वर्ष के दौरान फर्म/ LLP के किसी भी भागीदार/चार्टर्ड अकाउंटेंट कर्मचारी को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा पेशेवर कदाचार का दोषी नहीं ठहराया गया है (यदि फर्म/ LLP के किसी भी भागीदार को भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा पेशेवर कदाचार का दोषी ठहराया गया है, तो उसका विवरण कृपया प्रस्तुत करें।)

(vi) ऑडिट किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाना चाहिए जो (i) जो उस फर्म/ LLP का CA पार्टनर/ CA कर्मचारी/ फर्म/LLP का CA article नहीं है, जिसे ऑडिट आवंटित किया गया है; (ii) जो पहले सेवानिवृत्त ऑडिटर के भागीदार/कर्मचारी के रूप में उक्त पीएसयू के ऑडिट से जुड़ा था।

(vii) फर्म/ LLP का कोई भी भागीदार किसी भी निजी संगठन/कंपनी के निदेशक (वित्तीय कंपनियों के मामले को छोड़कर) का पद धारण नहीं करेगा, जो समान व्यवसाय में है या पीएसयू के साथ कोई व्यावसायिक संबंध रखता है। इसके अलावा, फर्म/ LLP या फर्म/ LLP का कोई भी भागीदार किसी भी निजी संगठन/कंपनी का ऑडिट या कोई अन्य कार्य/असाइनमेंट नहीं लेगा जो समान व्यवसाय में है या PSU के साथ कोई व्यावसायिक संबंध रखता है।

4. कंपनी के खाते प्राप्त होने पर ऑडिटर तुरंत कंपनी का ऑडिट शुरू कर सकता है। हालाँकि, उन्हें ऑडिट किए गए खातों के बाद ही वर्ष के खातों को प्रमाणित करना चाहिए । हालाँकि, उन्हें पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित खातों को एजीएम के समक्ष विचारार्थ रखे जाने के बाद ही वर्ष के खातों को प्रमाणित करना चाहिए। यदि पिछले वर्षों के लेखा परीक्षित खातों पर विचार किया गया है, लेकिन अंततः शेयरधारकों द्वारा नहीं अपनाया गया है, तो लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट में पिछले वर्षों के खातों को न अपनाने के तथ्य को इंगित करते हुए अगले वर्ष के खातों को प्रमाणित कर सकता है।

5. ऑडिट आयोजित करने की समय-सारिणी ऑडिट की समय-सारणी के साथ तैयार की जा सकती है, जिसमें पीएसयू के विभिन्न विभागों/इकाइयों के ऑडिट की अवधि और प्रत्येक इकाई के ऑडिट के लिए तैनात किए जाने वाले कर्मियों के नाम और उनकी योग्यता का भी उल्लेख होगा। इस प्रकार निर्धारित समय-सारणी की एक प्रति संबंधित DG/PAC/AG/MAB को भेजी जाए ताकि वे पूरक लेखापरीक्षा के लिए अपना समय-सारणी भी बना सकें।

6. फर्म/ LLP को उन्हें आवंटित इकाइयों/शाखाओं का ऑडिट प्रबंधन द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करना होगा ताकि एजीएम में खातों को रखने के लिए वैधानिक समय-सारणी का पालन किया जा सके।

7. वर्किंग पेपर के रूप में किए गए ऑडिट कार्य का रिकॉर्ड पर्याप्त जानकारी के साथ रखा जाना चाहिए ताकि ऑडिटरों के महत्वपूर्ण निष्कर्षों और निर्णयों का समर्थन किया जा सके।

8. लेखा परीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा। पारिश्रमिक में इस संबंध में शामिल अतिरिक्त कार्य में शुल्क शामिल है। धारा 143(5) के तहत निर्देश इस कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट यानी www. saiindia.gov.in (सीए एम्पैनलमेंट) पर उपलब्ध हैं।

9. SAP को अपनाने वाली कंपनियों के वैधानिक लेखा परीक्षकों को ऑडिट करने के लिए ISI/CISA योग्यता रखने वाले कम से कम एक भागीदार/कर्मचारी को तैनात करना चाहिए। सूचीबद्ध पीएसयू के लिए नियुक्त लेखा परीक्षकों के पास ICAI के सहकर्मी समीक्षा बोर्ड द्वारा जारी वैध सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र होना चाहिए।

10. कंपनी/लेखा परीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 के सभी प्रावधानों और विभिन्न नियामक निकायों/प्राधिकरणों यथा- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, बीमा नियामक विकास प्राधिकरण आदि द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों सहित अन्य सभी लागू कानूनों का पालन करना होगा।

II. यदि नियुक्त ऑडिटर द्वारा उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन इस कार्यालय के ध्यान में आता है तो किसी कंपनी के ऑडिटर के रूप में नियुक्ति किसी भी समय वापस ली जा सकती है।

GHOSAL & GHOSAL

Chartered Accountants

15, India Exchange Place,
Birla Brothers Building, 5th Floor, Kolkata 700 001
Ph. No.: (033) 4602 3114/2262 8685
E-mail : ghslandgsl@gmail.com

DKDG/26/23-24 दिनांक: सोमवार, 09 अक्टूबर 2023

प्रबंध निदेशक
हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड,
ताम्र भवन, 1, पी.बी.उं.-10224,
आशुतोष चौधुरी एवेन्यु,
कोलकाता- 700 019

महोदय,

संदर्भ सं.- CA.V/COY/CENTRAL GOVERNMENT, HCOPPR (2)/26 दिनांक 09.10.2023

विषय: कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अधीन हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एनडीएलआई) का वर्ष 202-2021 के लिए अंकेक्षकों की नियुक्ति

कृपया उपर्युक्त उद्धृत पत्र को संदर्भित करें जिसके द्वारा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (NDLI) का वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए हमारी नियुक्ति सांविधिक अंकेक्षक के रूप में संसूचित की गई है, हम उक्त नियुक्ति को स्वीकार करते हैं।

हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि: -

1. कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 141 के अधीन हमारे फर्म को अयोग्य घोषित नहीं किया गया है,
2. कि कंपनी से कोई अनुचित यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता, पॉकेट खर्च का दावा नहीं किया जायेगा,
3. कि अंकेक्षण वर्ष के दौरान और फर्म ऑडिटर को छोड़ने के उपरांत एक वर्ष तक, कंसल्टेंसी या अन्य सेवाओं के आंतरिक अंकेक्षण के लिए कोई कार्यभार कंपनी से प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: नहीं स्वीकार करेगा जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 144 के अधीन दिये गये स्पष्टीकरण में फर्म द्वारा दिया गया है ।
4. कि फर्म का कोई साझेदार/चार्टर्ड लेखाकार कर्मचारी विगत वर्ष के दौरान भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान द्वारा पेशेवर कदाचार का दोषी नहीं ठहराया गया है ।

5. कि अंकेक्षण ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं किया जायेगा जो (i) जिस फर्म को अंकेक्षण आवंटित किया गया है, का न तो सी.ए. फर्म का पार्टनर है और न ही कोई कर्मचारी है; (ii) जो पूर्व में सेवानिवृत्त अंकेक्षक के पार्टनर/कर्मचारी के रूप में उपर्युक्त सार्वजनिक उपक्रम के अंकेक्षण से जुड़े थे ।
6. चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्म का कोई भी पार्टनर किसी भी प्राइवेट संस्थान/ कंपनी के निदेशक का पद धारण या अंकेक्षण या अन्य कोई कार्य/ कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा जो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की तरह ही व्यवसाय या उद्योग का हो ।

धन्यवाद ।

भवदीय,
कृते: घोषाल एंड घोषाल.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
FRN 304013E
ह0/-
(CA डी.के.दत्ता गुप्ता)
पार्टनर
M.No. 014855

घोषाल एंड घोषाल   G H O S H A L & G H O S A L

चार्टर्ड लेखाकार   C H A R T E R E D   A C C O U N T A N T S

फर्म का प्रोफाइल PROFILE OF THE FIRM

सम्पर्क CONTACT

15, इंडिया एक्सचेंज प्लेस,
5वीं मंजिल, बिड़ला ब्रदर्स बिल्डिंग,
कोलकाता - - 700 001
E-mail : ghslandgsl@gmail.com
Ph. No.: (033) 2262 8685/4602 3114

घोषाल और घोषाल चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की प्रोफाइल

प्रोफ़ाइल

घोषाल और घोषाल 1966 में स्थापित एक चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म है, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है और इसके शाखा कार्यालय भुवनेश्वर, बेंगलुरु, हैदराबाद, विजयवाड़ा, पटना और रांची में हैं। फर्म को मूल रूप से श्री एके घोषाल, एफसीए द्वारा 07.12.1968 को एक "स्वामित्व फर्म के रूप में पंजीकृत किया गया था, बाद में, फर्म को 01 अप्रैल, 1982 को दो वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउंटेंट श्री ए.के. घोषाल और श्री समर सेनगुप्ता द्वारा पार्टनरशिप फर्म में परिवर्तित कर दिया गया था। वे दोनों उच्च शिक्षित और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान के साथी सदस्य थे। फर्म भारतय लेखा मानक, आईएफआरएस, आंतरिक, सांविधिक, कर, समवर्ती और लेखा परीक्षा सहित लेखांकन और कार्यान्वयन से संबंधित सेवाओं और प्रबंधन ऑडिट, माल और सेवा अधिनियम (जीएसटी), खातों की आउटसोर्सिंग, पेरोल, स्टोर, देय / प्राप्य प्रबंधन, वैधानिक अनुपालन, सेबी कानून, फेमा, कंपनी कानून के मामले आदि से संबंधित मामले पर परामर्श की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।

फर्म के पास सार्वजनिक और सरकारी क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र के साथ-साथ कृषि से लेकर विनिर्माण और सेवा उद्योगों तक विभिन्न उद्योगों में फैले निजी क्षेत्र के ग्राहक हैं। फर्म अपने ग्राहकों के लिए सेवा वितरण के सभी पहलुओं को पारदर्शी बनाती है। फर्म का प्रदर्शन पूर्व-निर्धारित, सहमत, लागत-कुशल और समय प्रभावी देनेवाला है। फर्म का उद्देश्य परिचालन के उच्चतम मानकों को प्राप्त करने के अलावा ग्राहकों की अपेक्षाओं तक पहुंचना और उससे भी आगे की सेवा करना है। हम अनुभवी, युवा और ऊर्जावान चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की एक फर्म हैं जो कई अन्य पेशेवरों के साथ जुड़े हुए हैं। फर्म को अखिल भारतीय आधार पर विभिन्न मध्यम आकार के कॉर्पोरेट घरानों और समाज के सांविधिक और कर लेखा परीक्षा में भी व्यापक अनुभव है।

हमारा लक्ष्य ऑडिटिंग और आश्वासन सेवाओं से लेकर लेखा सेवाओं, कराधान, मुकदमेबाजी समर्थन और इसी तरह की अन्य सभी आवश्यकताओं के लिए हमारे ग्राहक को एक-स्टॉप समाधान के रूप में मदद करना है। हमें भारत के कुछ अच्छे ब्रांडों सौंपा गया है और हम अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ पेशेवरों को आकर्षित करने और विकसित करने का प्रयास करना जारी रखेंगे। हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अलावा विभिन्न राज्य सरकार/अर्ध सरकारी विभागों के साथ पैनलबद्ध हैं:

- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक - CA0358
- भारतीय रिजर्व बैंक - अद्वितीय कोड संख्या-070506
- भारतीय जीवन बीमा निगम
- नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- नगर मामलों के विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार
- शैक्षिक निदेशालय, पश्चिम बंगाल सरकार
- पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार
- कोल इंडिया लिमिटेड
- BSNL
- पश्चिम बंगा सर्व शिक्षा अभियान
- ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन
- भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल)- पूर्वी क्षेत्र
- एयर इंडिया -पूर्वी क्षेत्र

फर्म का पार्टनर

1.	श्री अमिय कुमार घोषाल, एम.कॉम., एफसीए, एसीएमए. एल.एल.बी.	005254	07.12.1966	द्वारा- देबब्रत बनर्जी, अगरपाड़ा, डी.एन.चटर्जी रोड, पी.ओ.- कमरहाटी, कोलकाता- 700058
2.	श्री ए. सेन नियोगी एफसीए	007476	15.03.1995	29/5, B.P. पाल स्ट्रीट, कोलकाता 7OO 036
3.	श्री डी.के.दत्ता गुप्ता एफसीए	014855	01.04.2001	फ्लैट नं. IB, 18, बालीगंज पैलेस, कोलकाता - 700 019
4.	श्री एस.एस.रॉव गुप्ता, FCA, DISA, CONCURRENT AUDIT FOR BANKS	023640	01.01.2006	27-23-32 ऊषा स्टेट, गोपालारेड्डी रोड, विजयवाडा-2
5.	श्री एस.के.विश्वास, एफसीए	072335	01.04.2006	60/2, डॉ. एम.एन.साहा रोड, कोलकाता-700074
6.	श्रीमती सोनाली सिन्हा, FCA, DISA, CONCURRENT AUDIT FOR BANKS	304879	01.11.2016	28/3 सी, जेनेक्स वैली, जोका, कोलकाता-700 104
7.	श्री सोमनाथ बिश्वास, FCA, DISA, CONCURRENT AUDIT FOR BANKS	064735	01.07.2017	320, रामकृष्ण पल्ली, सोनारपुर, कोलकाता-700150
8.	श्री आर.एन.घोष, FCA, FCMA, DISA, DIRM, IFRS, QV, FAFD, CONCURRENT AUDIT FOR BANKS	050739	01.11.2017	फ्लैट 2ए, ऑली गार्डेंस, 4 मोरे एवेन्यू, कोलकाता-700040
9.	श्रीमती निवेदिता सनवारिया, ACA	31 1861	09.10.2017	फ्लैट नंबर 84, हरप्रिया विला अपार्टमेंट, रत्नाकर बाग लेन 2, भुवनेश्वर, टैंकपानी रोड, बड़ागढ़ ब्रिट कॉलोनी, खुर्दा, ओडिशा -751018
10	श्री सिद्धार्थ पाल, FCA,	059017	01.08.2020	फ्लैट नं. 1004, न्यू टाउन, एक्शन एरिया I, राजरहाट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल 700156
11	श्री सुप्रियो कुमार साहा, FCA	068337	01.08.2020	ब्लॉक-F, फ्लैट-2, CIT स्कीम VIIM, मानिकतला हाउसिंग इस्टेट, VIP रोड, काकुरगाछी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल 700054

पूर्णकालिक सेवा अन्य वरिष्ठ पेशेवर व्यक्ति

1.	श्री एस. के. सिल	FCA (सदस्य सं. 052739)
2.	श्री एस. के. बंद्योपाध्याय	ACMA, Ex-D C L (सदस्य सं. 4155)
3.	श्री सुभाषीष राय	ACMA (M.No. 207821
4.	श्री सुबीर कुमार रॉय	ACMA (M.No. 30901)
5.	श्री दीपक कुमार कुमार	ACMA (M.No. 36589)
6.	श्री अमरेा बेहरा	ACMA (M.No. 46019)
7.	श्री डी.पी.मुखर्जी	S.A.S, Ex. Sr. Audit fficer, C&AG, Govt. of lndia, New Delhi
8.	श्री केशब भट्टाचार्यी	Ex. Sr. Audit Officer. C&AG. Govt. of lndia. New Delhi
9.	श्री उज्जल सन्याल	Ex-Banker (UBl)
10.	कॉस्ट इंटर	एक (1)
11.	ऑडिट सहायक	तेतीस (33)

विभिन्न क्षेत्रों में ऑडिट का प्रदर्शन और अनुभव

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (C&AG), नई दिल्ली द्वारा आवंटित केन्द्रीय एवं राज्य - दोनों प्रकार के लोक उपक्रमों का सांविधिक आडिट

- सेंट्रल वेयरहाउस कॉरपोरेश (पूर्वी क्षेत्र) - 1983-84 to 1985-86
- वेस्ट बंगाल हैंडलूम एंड पावरलूम कॉरपोरेश लि. - 1982-83 .
- फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया - 1981-82 से 1985-86
- यूनाइटेड इंडिया इंश्यूरेंस कंपनी लि.,(मालदा डिवीजन) - 1987-88 से 1989-90
- यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया- 1988-89 से 1990-91
- सेल (परिवहन डिवीजन)- 1991-92 से 1993-94
- मिनरल एंड मेटल ट्रेडिंग कॉरपोरेश लि.(पूर्वी क्षेत्र)- 1995-96 से 1997-98
- इंडिया ड्रग एंड फर्मास्युटिकल लि.(पूर्वी क्षेत्र ब्रांच ऑडिटर - 1996-97 से 199&99
- नेशनल इंश्यूरेंस कंपनी लि., डिवीजन XII- 1998-99 से 2000-2001
- न्यू इंडिया एश्यूरेंस कंपनी लि. - 1999-2000, 2000-01 ,2001-02
- बंगाल केमिल एंड फर्माच्युटिकल लि. संयुक्त ऑडिटर के रुप में - 2001-2004 2000-2001, 1999-2000
- भेल(पूर्वी क्षेत्र) ब्रांच ऑडिटर के रुप में - 2003-04, 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07
- हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेश लिमिटेड - 2004.05, 2005.06, 2006.07
- बोंगाइगॉव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लि. 2OO7.O8 एवं 2OO8.O9
- सेल - रॉव मैटेरियल डिवीजन 2OO9.1O, 2O'IO-11
- द ओरियंटल इंश्यूरेंस कं. लि. डिवीजनल ऑफिस- III - 2012.13
- नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि. 2013-14, 2014-15, 201 5-16 एवं 2016-17
- सेल (ट्रांसपोर्ट एंड शिपिंग और सेंट्रल मार्केटिंग संगठन, पूर्वी क्षेत्र) - 2017-18,2018-19,2019-20,2020-21

बैंक ऑडिट

विश्व बैंक प्रोजेक्ट के तहत वाह्य ऑडिट

- वेस्ट बंगाल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन(WBSRLM), सांविधिक ऑडिट -2014-15to2017-18
- वेस्ट बंगाल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन(WBSRLM), आंतरिक ऑडिट -2018-19 & 2019-20
- वेस्ट बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधीन प्रोजेक्ट- 2017-18 एवं 2018-19

भारतीय जीवन बीमा निगम सौंपे गये ऑडिट

- LIC सिलचर डिवीजन 1993-94 से 1995-96
- LIC बरहमपुर डिवीजन 2000-01 से 2002-03
- LIC जलपाईगुडी डिवीजन - 2008-09 से 2010-11
- LIC KMDO II डिवीजन- 2019-20

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम- केन्द्रीय और राज्य दोनों का आंतरिक ऑडिट

- विगत 25 वर्षों से कोल इंडिया लि. और इसकी अनुषंगी कंपनियाँ
- कोल इंडिया लि. मुख्यालय -2014-15,2015-16 एवं 2016-17
- नेशनल जूट मैनुफैक्चरर्स कॉरपोरेशन 1999-2000 से 2014-15
- कर्नाटक सोप एंड डिटरजेंट लि. - 2009-10, 2O1O-11 एवं 2011-12
- द इलेक्ट्रो मेडिकल एंड एलाय इंडस्ट्रीज लि.- 2010-11,2011-12. 2012-13 एवं 2013-14
- भारत संचार निगम लि.(BSNL)- 2008-09 से 2013-14
- वेस्ट बंगाल इंफ्रास्टक्चर डवलॉपमेंट फाइनांस कॉरपोरेशन लि. 2011.12 , 2012-13, 2013-14, 2014-15, 201 5-16 एवं 2016-17
- एंड्रू यूले एंड कंपनी लि. - 2011-12 एवं 2012-13
- द जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.- 2011-12,2012-13,2013-14,2015-16 एवं 2016-17
- द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि., B.O. विजयवाडा -2011-12
- ब्रेथवेट एंड कं. - 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं 2017 -18
- वेस्ट बंगाल एसेंशियल कॉमोडिटीज सप्लाई कॉरपोरेश लि. - 2014-15
- द वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीव्यूशन कं. लि. - 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18
- जूट कमीशनर ऑफ इंडिया - 2015-16
- भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड, NTPC की अनुषंगी कंपनी - 2017-18
- नवीनगर पावर जेनरेटिंग कंपनी लिमिटेड(NPGCL)- NTPC का संयुक्त उद्यम- 2018-19
- AIR इंडिया, कोलकाता क्षेत्र – जनवरी 2019 से मार्च 2020
- पतरातु विद्युत उत्पादन निगम लि., NTPC का संयुक्त उद्यम - 2018-19

वार्षिक लेखा रिपोर्ट की तैयारी

- G T A – गोरखालैंड थर्मल एडमीनिस्ट्रेशन- -2011-12 से 2014-15

बैंक ऑडिट

1. बैंक सांविधिक केन्द्रीय ऑडिट
   - UCO बैंक -2020-2021 एवं जारी
   - नागालैंड रूरल बैंक - 2018-2019 से 2020-2O21

2. **बैंक शाखा सांविधिक ऑडिट**

   (क) **राष्ट्रीयकृत बैंक**
   - इंडियन ओभसीज बैंक- 1984-1987
   - स्टेट बैंक ऑफ इंडिया- 1988 से 1992, 1995 से 1999, 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08
   - UCO बैंक - 2004-05
   - कैनरा बैंक- 2000-01, 2001-02, 2002-03 एवं 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12
   - UBI – 2016-17 (HABRA, TIVOLI PARK एवं कॉलेज स्ट्रीट)
   - UBI - 2017-18 (ओवरसीज, सिंगुर एवं आरामबाग)
   - UBI – 201एवं 19 (न्यू मानिकतला,पाओना बाजार- मनीपुर एवं बर्दवान)
   - UBI - 2019-20 (NS रोड, रॉयल एक्सचेंज एवं SAMB ब्रांच)

   (ख) गैर-राष्ट्रीयकृत बैंक
   - CATHOLIC SYRIAN BANK- 2006-07 to 2010-11
   - TAMILNAD MERCANTILE BANK LTD.- 2006-07 से 2009-10
   - धनलक्ष्मी बैंक लि. -2009-10, 2010-11 एवं 2011-12
   - FEDERAL बैंक - 2012-13,2013-14,2014-15 एवं 2015-16
   - द मालदा जिला सेंट्र कॉऑपरेटिव बैंक 2015.16 & 2016.17
   - दार्जिलिंग जिला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक

3. **ऑडिट की जॉच**
   - बैंक ऑफ इंडिया
   - यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
   - पंजाब नेशनल बैंक

4. **कंकरेंट ऑडिट**

क्र सं.	बैंक का नाम	शाखा	वित्तीय वर्ष
1.	बैंक ऑफ बरौदा	विजयवाडा	2012-13, 2013-14, 2014-15
2.	बैंक ऑफ इंडिया	सिकंदराबाद	2012-13;2013-14;2014 -15
3.	बंगीय ग्रामीण विकास बैंक	1) अर्जुनपुर 2) रानीनगर 3) औरंगाबाद	2017-18
		1) भरतपुर 2) सिमुलिया 3) रामताराखाट	2016-17
4.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	रिटेल एसेट ब्रांच, हैदराबाद (1508)	2013-14, 2014-15
5.	इंडियन ओभसीज बैंक	रिंग रोड, विजयवाडा (1067)	2012-13, 2014-15, 2015-16
6.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	सिकन्दराबाद	2014-15, 2015-16, 2016-17
7.	यूनियन बैंक	धनबाद	2011-12, 2012-13
		तडेपल्लीगुडम	2014-15, 2015-16
8.	यूको बैंक	कोलकाता सर्विस ब्रांच (1801)	01.10.15 से 30.09.16
		क्रेडिट विभाग, मुख्यालय	01.10.17 से 30.09.19
9.	IDBI बैंक	थेटर रोड ब्रांच	01.o7.17 से 30.06.19
10.	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	SME शाखा	2017 -18; 2018-19; 2019- 20
11.	Axis बैंक	पटना, बोरिंग रोड, विजयवाडा, बंजारा हिल्स, कुकटपल्ली, काकीनाडा, हिमायतनगर	01.07.2018 से 30.06.2019
12.	कॉरपोरेशन बैंक	रासबिहारी ब्रांच	01 .07.201 I to 30.06.2020

अन्य ऑडिट

1. कोऑपरेटिव सोसाइटी का सांविधिक ऑडिट
कलकत्ता समवायका
बाकुरा होलसेल कंज्यूमर्स को- ऑप. सोसाइटी लि.
चिंचुरा होलसेल कंज्यूमर्स को-ऑप. सोसाइटी लि.- 1994-95 एवं 1995-96
जलपाइगुरी होलसेल कंज्यूमर्स को-ऑप. सोसाइटी लि.
टाटा ऑयल मिल्स इम्पलाइज काू-ऑप. सोसाइटी लि.

2. इनकम लीकेज ऑडिट

विभिन्न बैंकों का रेवेन्यू ऑडिट
स्टॉक एंड बुक डेब्ट का सत्यापन
क्रेडिट मोनिटरिंग एडमिनिष्ट्रेशन
बैंक का क्रेडिट ऑडिट
सूचना प्रणाली ऑडिट
माइग्रेशन ऑडिट
रिस्क बेस्ड इंटर्नल ऑडिट (RBIA)

3 अन्य महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स

1. अचल संपत्ति रजिस्टर का भौतिक सत्यापन और अद्यतनीकरण - नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड, ब्रेथवेट एंड कॉटपनी लिमिटेड, निक्को कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

2. कोलकाता उच्च न्यायालय के आधिकारिक लिक्विडेटर द्वारा आवंटित समामेलन गतिविधि
3. जुलाई 2017 से अब तक प्रभात खबर, सन्मार्ग, दैनिक संवाद, हिमालय दर्पण, दैनिक जुगासन्खा, असम ट्रिब्यून, शिलांग टाइम्स, द संगाई एक्सप्रेस, हयुयेन लैनपाओ और पोकनाफाम के समाचार पत्रों के सर्कुलेशन ऑडिट (ABC ऑडिट)

हम पुष्टि करते हैं कि उपरोक्त विवरण सत्य और सही हैं और कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई नहीं गई है।

स्थान : कोलकाता
दिनांक 24 सितम्बर 2021

कृते- घोषाल एंड घोषाल
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
F R N 304013E

ह0/-
सी.ए. ए. के. घोषाल
(पार्टनर)